



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

31 आषाढ़, 1943 (श०)

संख्या- 363 राँची, गुरुवार,

22 जुलाई, 2021 (ई०)

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

कार्यालय आदेश

8 जून, 2021

संख्या-09/आरोप-सरायकेला-खरसावाँ-76/2019-1889-(09)--श्री सुभाष कुमार दत्ता, जिला अवर निबंधक, सरायकेला- खरसावाँ के विरुद्ध उपायुक्त, सरायकेला-खरसावाँ के पत्रांक-555, दिनांक-21.08.2019 के द्वारा आरोप प्रपत्र-‘क’ विभाग को प्राप्त हुआ। श्री दत्ता के विरुद्ध जिला अवर निबंधन कार्यालय, सरायकेला-खरसावाँ (विभाग/कार्यालय) के अधीन जिला अवर निबंधक के पद पर पदस्थापित रहने के दौरान अनुमण्डल पदाधिकारी, सरायकेला-खरसावाँ के पत्रांक-289/सा0, दिनांक-11.05.2018 द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन के अनुसार प्रतिबंधित सूची में अंकित कुल-17 दस्तावेजों में से एक दस्तावेज का दिनांक-22.06.2015 के बाद (प्रतिबंधित सूची प्राप्त होने के बाद) निबंधन करने का आरोप प्रतिवेदित किया गया। श्री दत्ता द्वारा सरकारी सेवक आचार नियमावली के नियम-3 (i) (ii) एवं (iii) के प्रावधानानुसार सरकारी सेवक के पूरी शीलनिष्ठा एवं कर्तव्य के प्रति निष्ठा का पालन नहीं किये जाने का आरोप लगाया गया।

आरोप प्रपत्र-‘क’ के संदर्भ में विभागीय पत्रांक-3941, दिनांक-21.10.2019 द्वारा श्री दत्ता से स्पष्टीकरण की मांग की गयी।

श्री दत्ता द्वारा उनके पत्रांक-858, दिनांक-09.12.2019 द्वारा विभाग को स्पष्टीकरण समर्पित किया गया। समर्पित स्पष्टीकरण में श्री दत्ता द्वारा स्पष्ट किया गया कि अंचल कार्यालय गम्हरिया द्वारा प्रेषित प्रतिबंधित भूमि की सूची जापांक-935, दिनांक-22.06.2015 जिला निबंधन

कार्यालय को दिनांक-14.07.2015 तक प्राप्त नहीं हुआ था। श्री दत्ता स्थानांतरण के पश्चात दिनांक-14.07.2015 को बिरमित हो गये थे। अतः उक्त सूची का श्री दत्ता के संज्ञान में आने का प्रश्न ही नहीं उठता है। साक्ष्य के रूप में श्री दत्ता ने दिनांक-22.06.2015 से 17.07.2015 तक कार्यालय आगत पंजी की छायाप्रति समर्पित किया है।

यह सूची जिला निबंधन कार्यालय, सरायकेला-खरसावाँ को दिनांक-31.12.2015 को प्राप्त हुई थी, जो दिनांक-31.12.2015 के आगत पंजी पर स्पष्ट रूप से अंकित है। अंचल अधिकारी, गम्हरिया द्वारा सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत पत्रांक-1303, दिनांक-09.07.2018 में दिये गए सूचना में स्वीकार किया गया है कि ज्ञापांक-935, दिनांक-22.06.2015 की पावती कार्यालय में उपलब्ध नहीं है। श्री दत्ता ने स्वीकार किया है कि दिनांक-10.07.2015 को दस्तावेज संख्या-2657/2015 का निबंधन उनके द्वारा किया गया है। यह दस्तावेज एक फ्लैट के निबंधन का है। यह फ्लैट जिस भूमि पर बना है, उस भूमि के लगान का निर्धारण अंचलाधिकारी, गम्हरिया के अनुशंसा के आधार पर भूमि सुधार उप समाहर्ता, गम्हरिया के आदेश दिनांक-20.12.2000 द्वारा किया गया है। (वाद संख्या-06/1999-2000) दस्तावेज में संलग्न अभिलेख की छायाप्रति संलग्न करते हुए उन्होंने यह कहा है कि इस पर अंचलाधिकारी एवं भूमि सुधार उप समाहर्ता दोनों का हस्ताक्षर है। तत्पश्चात अद्यतन लगान रसीद भी दस्तावेज में संलग्न किया गया है। उक्त

भूखंड पर नगर पर्वद कार्यालय, आदित्यपुर द्वारा परमिट संख्या-645, दिनांक-24.05.2015 द्वारा अपार्टमेंट बनाने की अनुमति भी दी गयी है, जिसकी प्रति भी दस्तावेज के निबंधन के समय संलग्न किया गया है।

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड सरकार ने भारतीय निबंधन अधिनियम की धारा-22 'क' के तहत जिला निबंधन कार्यालय को संसूचित प्रतिबंधित भूमि की सूची को दिनांक-26.08.2015 को अधिसूचित किया जिसमें उक्त संसूचित सूची के भूखण्ड का निबंधन धारा-22 'क' के तहत लोकनीति के विरुद्ध घोषित किया गया। इससे स्पष्ट है कि इस प्रकार का कोई भी प्रतिबंधन अधिसूचना की तिथि-26.08.2015 के बाद लागू हुआ।

श्री दत्ता के अनुसार गम्हरिया अंचल से प्राप्त प्रतिबंधित सूची ज्ञापांक-935, दिनांक-22.06.2015 जिला निबंधन कार्यालय को दिनांक-31.12.2005 को प्राप्त हुई थी। प्रतिबंधित सूची अंचल अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित न होकर For/वास्ते कर के किसी अन्य कर्मी द्वारा हस्ताक्षरित है।

निबंधन कार्यालय को प्राप्त किसी भी प्रकार का सूची का संरक्षक वहां कार्यरत लिपिक होता है तथा उस सूची का मिलान निबंधन हेतु प्रस्तुत दस्तावेज से लिपिक के द्वारा किया जाता है। निबंधन मैनुअल के अनुसार यह कार्य उसे कार्य तालिका द्वारा बँटा होता है। अतः किसी भी सूची का मिलान करने की पूर्ण जवाबदेही संबंधित लिपिक का ही होता है। दस्तावेज के मुख्य पृष्ठ पर जांच किया और सही पाया को पृष्ठांकित कर हस्ताक्षर किया जाता है, जो दस्तावेज संख्या-2657/2015 के मुख पृष्ठ पर भी है।

श्री दत्ता के स्पष्टीकरण पर उपायुक्त, सरायकेला-खरसावाँ का मंतव्य विभागीय पत्रांक-267, दिनांक-21.01.2020 द्वारा माँगा गया जिसके आलोक में उपायुक्त, सरायकेला-खरसावाँ के पत्रांक-05(ए0), दिनांक-15.05.2020 द्वारा मंतव्य प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराया गया। मंतव्य प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया है कि समीक्षोपरांत पाया गया है कि दस्तावेज में वर्णित भूमि का

निबंधन के पूर्व राजस्व खतियान से जाँच नहीं किया गया है, जो नियमानुकूल नहीं है एवं इस बिन्दु पर निबंधन पदाधिकारी के द्वारा लापरवाही बरती गई है। साथ ही उक्त भूमि के निबंधन में यदि किसी प्रकार का कोई संदेह था तो राजस्व विभाग से प्रतिवेदन प्राप्त करने के पश्चात् ही निबंधन किया जाना चाहिए था। अतः श्री दत्ता, जिला निबंधन पदाधिकारी, सरायकेला-खरसावाँ का स्पष्टीकरण स्वीकार योग्य नहीं है।

उपायुक्त, सरायकेला-खरसावाँ के मंतव्य पर निबंधन महानिरीक्षक, झारखण्ड का मंतव्य प्राप्त किया गया। निबंधन महानिरीक्षक, झारखण्ड द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि प्रतिबंधित सूची निबंधन कार्यालय को दिनांक-31.12.2015 को मिली है जबकि अंचल अधिकारी द्वारा यह पत्र दिनांक-22.06.2015 को निर्गत किया गया था। इस संबंध में सर्वप्रथम उपायुक्त के माध्यम से सूचना प्राप्त करना श्रेष्ठ होगा कि प्रतिबंधित सूची अंचल अधिकारी/अपर समाहर्ता/उपायुक्त कार्यालय द्वारा किस तिथि को निबंधन कार्यालय को उपलब्ध करायी गयी है तथा उक्त प्रतिवेदन के आधार पर संबंधित पदाधिकारियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही प्रारंभ करने अथवा न करने का निर्णय लिया जाना उचित होगा।

निबंधन महानिरीक्षक का मंतव्य के आलोक में उपायुक्त, सरायकेला-खरसावाँ से पुनः वस्तुस्थिति स्पष्ट कर मंतव्य उपलब्ध कराने हेतु विभागीय पत्रांक-2361, दिनांक- 10.09.2020 प्रेषित किया गया। उपायुक्त, सरायकेला-खरसावाँ के पत्रांक-66/स्था0, दिनांक 30.01.2021 द्वारा मंतव्य दिया गया कि श्री दत्ता द्वारा प्रतिबंधित सूची प्राप्त होने की सूचना प्राप्त नहीं होने का प्रतिवेदन सही है तथा श्री दत्ता द्वारा कोई तथ्य छुपाया नहीं गया है। इस प्रकार विभाग को समर्पित स्पष्टीकरण स्वीकार योग्य है। उपायुक्त, सरायकेला -खरसावाँ के मंतव्य तथा संबंधित जाँच प्रतिवेदन एवं उपलब्ध अभिलेखों के सम्यक समीक्षोपरांत विभागीय निर्णयानुसार श्री सुभाष कुमार दत्ता, जिला अवर निबंधक, सरायकेला- खरसावाँ को आरोप-मुक्त किया जाता है।

उपरोक्त प्रस्ताव माननीय विभागीय (मुख्य) मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

अभिषेक श्रीवास्तव,

सरकार के संयुक्त सचिव।
